29

275

झारखण्ड सरकार,
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग।
नेपाल हाउस कैंपस, योजना भवन, तृतीय तल, डोरंडा, रांची–834002

अधिसूचना

राँची, दिनांकः– 03.12.2021

संख्या–01/मु0स्था0(अरा0)–02/15 वि0प्रा0......1168......../उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत सभी अभियंत्रण महाविद्यालय/बहुप्रावैधिकी सेवा संवर्ग के समूह 'ख' एवं 'ग' के अधीन लिपिक/लिपिक–सह–टंकक/टंकक/अन्य लिपिकीय सेवा सम्वर्ग की नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त्त के निर्धारण हेतु उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या–142, दिनांक–21.01.2016 द्वारा अधिसूचित "झारखण्ड अभियंत्रण/बहुप्रावैधिकी सेवा संवर्ग के ग्रुप 'ख' एवं 'ग' के अधीनं अराजपत्रित पद लिपिक/लिपिक–सह–टंकक/टंकक/अन्य लिपिकीय सेवा (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त्ते) नियमावली, 2015" अधिसूचित है।

"झारखण्ड अभियंत्रण/बहुप्रावैधिकी सेवा संवर्ग के ग्रुप 'ख' एवं 'ग' के अधीन अराजपत्रित पद लिपिक/लिपिक–सह–टंकक/टंकक/अन्य लिपिकीय सेवा (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त्ते) नियमावली, 2015" के नियम–13 (ख) में प्रदत्त शक्तियों के अधीन झारखण्ड के राज्यपाल एतद् द्वारा प्रथम संशोधन नियमावली गठित करते हैं।

1. <u>संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ</u>

(i) संक्षिप्त नामः–यह नियमावली "झारखण्ड अभियंत्रण/बहुप्रावैधिकी सेवा संवर्ग के ग्रुप 'ख' एवं 'ग' के अधीन अराजपत्रित पद लिपिक/लिपिक–सह–टंकक/टंकक/अन्य लिपिकीय सेवा (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त्ते) (प्रथम संशोधन) नियमावली–2021" कही जायेगी।

(ii) विस्तारः–इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(iii) प्रभाव की तिथिः–यह नियमावली इस अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी।

2. "झारखण्ड अभियंत्रण/बहुप्रावैधिकी सेवा संवर्ग के ग्रुप 'ख' एवं 'ग' के अधीन अराजपत्रित पद लिपिक/लिपिक–सह–टंकक/टंकक/अन्य लिपिकीय सेवा (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त्ते) नियमावली, 2015" की कंडिका–4 (ख)(i) के प्रावधान को विलोपित कर निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता हैः–

<u>मूल नियमावली के प्रावधानः–</u>

"अनिवार्य योग्यताः– सीधी भर्त्ती एवं सीमित प्रतियोगिता से भर्त्ती के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/इंटरमीडिएट काउन्सिल या मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम इंटरमीडिएट या 10+2 कक्षा उर्त्तीण होना अनिवार्य है तथा हिन्दी टाईपिंग में कम से कम 35 शब्द प्रति मिनट की टाईपिंग गति अनिवार्य अर्हत्ता होगी।"

<u>को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता हैः–</u>

"न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताः–झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम इंटरमीडिएट या 10+2 कक्षा उर्त्तीण होना अनिवार्य है तथा हिन्दी टाईपिंग में 25 शब्द प्रति मिनट की गति से कम्प्यूटर पर टाईपिंग अधिकतम 2 प्रतिशत अशुद्धि सहित अनिवार्य होगी।

उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक/10वीं कक्षा झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति–रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा।

परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा तथा इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा।

परन्तु यह कि अनुकम्पा नियुक्ति एवं सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता शिथिल रहेगी।"

3. "झारखण्ड अभियंत्रण/बहुप्रावैधिकी सेवा संवर्ग के ग्रुप 'ख' एवं 'ग' के अधीन अराजपत्रित पद लिपिक/लिपिक–सह–टंकक/टंकक/अन्यलिपिकीय सेवा (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त्ते) नियमावली, 2015" इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे तथा शेष अंश यथावत रहेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(के0 के0 खण्डेलवाल)
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांकः–01/मु0स्था0(अरा0)–02/15 वि0प्रा0– 1168 /राँची, दिनांकः 03.12.2021
प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को राजकीय गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
2. नोडल पदाधिकारी, विभागीय ई–गजट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(के0 के0 खण्डेलवाल)
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांकः–01/मु0स्था0(अरा0)–02/15 वि0प्रा0– 1168 /राँची, दिनांकः 03.12.2021
प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री के प्रधान सचिव/सभी विभागीय, अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष, झारखण्ड की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

(के0 के0 खण्डेलवाल)
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांकः–01/मु0स्था0(अरा0)–02/15 वि0प्रा0– 1168 /राँची, दिनांकः 03.12.2021
प्रतिलिपिः– सचिव, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग को सूचनार्थ प्रेषित।

(के0 के0 खण्डेलवाल)
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांकः–01/मु0स्था0(अरा0)–02/15 वि0प्रा0– 1168 /राँची, दिनांकः 03.12.2021
प्रतिलिपिः–निदेशक, बी0आई0टी0 सिंदरी/सभी प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक, झारखण्ड/विभाग/तकनीकी निदेशालय के सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

(के0 के0 खण्डेलवाल)
सरकार के अपर मुख्य सचिव।